फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

रामचन्द्र आदि **बनाम** ओमप्रकाश आदि

किस्म मुकदमा:—212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:—07/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के दादा बीरबलराम पुत्र बेगाराम जाति कुम्हार साकिन संगीता के नाम से वाके चक 1 एस0डी0 के प0नं0 54/59 के कि0नं0 4, 7 ता 9, 11 व 12 में 1.518 है0 अ0क0 भूमि व प0नं0 54/53 के कि0नं0 1,2,7 ता 14, 17 ता 24 में 4.429 है0 अ0क0 भूमि व प0नं0 54/54 कि0नं0 1 ता 4, 7 ता 9, 12 व 18 में 2.176 है0 अ0क0 भूमि इस प्रकार कुल 8.123 है0 अ0क0 भूमि आवंटन हुई थी। उक्त भूमि वादीगण के दादा के वारिसान के नाम से ब0हि0बराबर दर्ज हुई। प्रार्थीगण के परदादा बेगाराम पुत्र बुधराम को इसी चक 1 एस0डी0 के प0नं0 54/51 कि0नं0 16,17,24,25/1.012 है0 क0/अ0क0 व प0नं0 54/59 के कि0नं0 13 ता 25/3.289 है0 क0 व प0नं0 54/52 के कि0नं0 4 ता 8/1.265 है0 क0/अ0क0 भूमि व प0नं0 54/60 के कि0नं0 1 ता 3/0.759 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 6.325 है0 क0/अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज थी जो विरास्तन में प्रार्थीगण के पिता को 15/112 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई। प्रा.पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज रकबा जो प्रार्थी के दादा बीरबलराम के नाम अंकित है वो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विरास्तन में अपने पिता बीरबलराम से प्राप्त हुआ है। परदादा के नाम से अंकित भूमि उनके स्वर्गवास के पश्चात बीरबलराम के नाम दर्ज हुई है तथा बीरबलराम के फौत होने बाद वर्णित 6.325 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 5/112 हिस्सा खातेदारी रकबा में से विरास्तन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 2/3 ब0हि0बराबर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नशे के आदि है तथा उक्त पैतृक सम्पति बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विरास्तन प्राप्त रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त रकबा में प्रार्थी संख्या 1 ता 5 दोनो खातों के रकबा में से 5/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त रकबा में से प्रार्थी संख्या 6 व 7 दोनो खातों के रकबा में से 2/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा को वाद पत्र के निर्णय जैरवाद भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवायें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद समयक् तामिल हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 11.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस पर रखी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विरास्तन प्राप्त पैतक रकबा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर बनता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.01.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे चक 1 एस0डी0 के प0नं0 54/59 कि0नं0 4,7,8,9,11,12/1.518 है0 प0नं0 54/53 कि0नं0 1/1,2,7 ता 9, 10/1,11/2,12 ता 14, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 24 की 4.429 है0, प0नं0 54/54 कि0नं0 1/2, 2 ता 4, 7 ता 9, 12,18 की 2.176 है0 अ0क0 कुल 8.123 है0 अ0क0 भूमि में से 2/8 हिस्सा तथा चक 1 एस0डी0 के प0नं0 54/51 कि0नं0 16,17,24,25/1.012 है0 क0/अ0क0 व प0नं0 54/59 के कि0नं0 13 ता 25/3.289 है0 क0 व प0नं0 54/52 के कि0नं0 4 ता 8/1.265 है0 क0/अ0क0 भूमि व प0नं0 54/60 के कि0नं0 1 ता 3/0.759 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 6.325 है0 क0/अ0क0 में से 2/8 [illegible] का वाद पत्र के निर्णय तक रहन, बेचान एवं दिगर तरीके से हस्तांतरण न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested